निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 आषाढ़ 1938 (श0)

संख्या 28 पटना, बुधवार, ——————

13 जुलाई 2016 (ई0)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-14
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	15-15
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	16-17
पूरक	---
पूरक-क	18-23

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचनाएं

24 जून 2016

सं० 1/ अ0–1009/2016–सा0प्र0–8991—श्री राम निवास पाण्डेय, भा0प्र0से0(2006), संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली–1955 के नियम–10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 25.06.2016 से दिनांक 04.07.2016 तक कुल 10 (दस) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह ,अवर सचिव।

24 जून 2016

सं० 1 / एल0–42/2003–सा0प्र0–8994—श्री शशि शेखर शर्मा, भा0प्र0से0 (85), परामर्शी, बिहार राज्य योजना पर्षद, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली–1955 के नियम–10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 10.09.2016, 11.09.2016 एवं 12.09.2016 के सार्वजनिक अवकाशों को पूर्व लग्न तथा दिनांक 24.09.2016 और 25.09.2016 के सार्वजनिक अवकाशों को पश्च लग्न के सदृश्य जोड़ते हुए दिनांक 13.09.2016 से दिनांक 23.09.2016 तक कुल 11 (ग्यारह) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति निजी खर्च पर विदेश(इजराईल) यात्रा के लिए एक्स इंडिया लीव के रूप में प्रदान की जाती है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह ,अवर सचिव।

24 जून 2016

सं० 1/ एल0–014/2000–सा0प्र0– 8995—श्री प्रत्यय अमृत, भा0प्र0से0 (91), प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग {अतिरिक्त प्रभार–अध्यक्ष–सह– प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड } को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली–1955 के नियम–10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 22.08.2016 से दिनांक 10.09.2016 तक कुल 20 (बीस) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति निजी खर्च पर विदेश (अमेरिका) यात्रा के लिए एक्स इंडिया लीव के रूप में प्रदान की जाती है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह ,अवर सचिव।

24 जून 2016

सं० **1/सी0–1020/2015–सा0प्र0–8941—**श्री दीपक कुमार सिंह, भा0प्र0से0 (बी एचः1992), सचिव, श्रम संसाधन विभाग (अतिरिक्त प्रभार–अपर विभागीय जॉच आयुक्त/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास मिशन, पटना) को उच्च प्रशासनिक ग्रेड (प्रधान सचिव स्तर, वेतनमान ₹67,000–79,000/–) में पदग्रहण की तिथि से प्रोन्नति दी जाती है।

सं० **1/सी0–1020/2015–सा0प्र0–8942—**श्री चंचल कुमार, भा0प्र0से0 (बी एच : 1992),मुख्य मंत्री के सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना को उच्च प्रशासनिक ग्रेड (प्रधान सचिव स्तर, वेतनमान ₹67,000–79,000/–) में पदग्रहण की तिथि से प्रोन्नति दी जाती है ।

सं० **1/सी0–1020/2015–सा0प्र0–8943—**श्रीमती हरजोत कौर बम्हारा, भा0प्र0से0 (बी एच : 1992), सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना को उच्च प्रशासनिक ग्रेड (प्रधान सचिव स्तर, वेतनमान ₹67,000–79,000/–) में पदग्रहण की तिथि से प्रोन्नति दी जाती है ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह ,अवर सचिव ।

---

24 जून 2016

सं० **1/सी0–1020/2015/सा0प्र0–9012—**विभागीय अधिसूचना संख्या–8941 दिनांक 24.06. 2016 द्वारा श्री दीपक कुमार सिंह, भा0प्र0से0 (बी एचः1992), सचिव, श्रम संसाधन विभाग (अतिरिक्त प्रभार–अपर विभागीय जॉच आयुक्त/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास मिशन, पटना) को उच्च प्रशासनिक ग्रेड (प्रधान सचिव स्तर, वेतनमान ₹67,000–79,000/–) में पदग्रहण की तिथि से प्रदत्त प्रोन्नति के आलोक में श्री सिंह की पदस्थापन अवधि तक के लिए उनके द्वारा वर्तमान में धारित मौलिक पद–सचिव, श्रम संसाधन विभाग को प्रधान सचिव स्तर में उत्क्रमित किया जाता है ।

सं० **1/सी0–1020/2015–सा0प्र0–9013—**विभागीय अधिसूचना संख्या–8942 दिनांक 24.06. 2016 द्वारा श्री चंचल कुमार, भा0प्र0से0 (बी एच : 1992),मुख्य मंत्री के सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना को उच्च प्रशासनिक ग्रेड (प्रधान सचिव स्तर, वेतनमान ₹67,000–79,000/–) में पदग्रहण की तिथि से प्रदत्त प्रोन्नति के आलोक में श्री कुमार की पदस्थापन अवधि तक के लिए उनके द्वारा वर्तमान में धारित पद–मुख्य मंत्री के सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना को प्रधान सचिव स्तर में उत्क्रमित किया जाता है ।

सं० **1/सी0–1020/2015–सा0प्र0–9014—**विभागीय अधिसूचना संख्या–8943 दिनांक 24.06. 2016 द्वारा श्रीमती हरजोत कौर बम्हारा, भा0प्र0से0 (बी एच : 1992), सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना को उच्च प्रशासनिक ग्रेड (प्रधान सचिव स्तर, वेतनमान ₹67,000–79,000/–) में पदग्रहण की तिथि से प्रदत्त प्रोन्नति के आलोक में श्रीमती बम्हारा की पदस्थापन अवधि तक के लिए उनके द्वारा वर्तमान में धारित पद–सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना को प्रधान सचिव स्तर में उत्क्रमित किया जाता है ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह ,अवर सचिव ।

---

28 जून 2016

सं० **/पी0–1006/2016–सा0प्र0–9141—**माननीय केन्द्रीय राज्य मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) के आप्त सचिव के रुप में नियुक्ति के फलस्वरुप उक्त पद पर योगदान करने हेतु श्री बी0 कार्तिकेय धनजी, भा0प्र0से0(2008), निदेशक, कृषि, बिहार, पटना को तात्कालिक प्रभाव से विरमित किया जाता है ।

(स्थापना पदाधिकारी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली का फैक्स संख्या–4/7/2016–EO (MM-I) दिनांक 14.06.2016 द्रष्टव्य ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह ,अवर सचिव ।

———

28 जून 2016

सं० **1/पी0–1006/2016–सा0प्र0– 9142**––श्री हिमाशु कुमार राय, भा0प्र0से0 (2010), संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, कृषि, कृषि विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह ,अवर सचिव ।

———

30 जून 2016

सं० 1/अ0–08/2012–सा0प्र0–9280––श्री एस0 एम0 राजू, भा0प्र0से0 (91), अपर सदस्य, राजस्व पर्षद्, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम–10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 13.06.2016 से दिनांक 12.08.2016 तक कुल 61(एकसठ) दिनों के उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह ,अवर सचिव ।

———

1 जुलाई 2016

सं० **1/प्र0वि0–02/2015–सा0प्र0**–**9304**––श्री आर0एल0 चोंग्थू, भा0प्र0से0 (बी एचः97), आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर (अतिरिक्त प्रभार–आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर) को भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली में दिनांक 01.07.2016 से 28.04.2017 तक प्रस्तावित 42 वें Advanced Professional Programme in Public Administration (APPPA) प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु धारित पदों का त्याग किये जाने की तिथि से विरमित किया जाता है ।

2. उपयुक्त विरमन के आलोक में अगले आदेश तक श्री सुधीर कुमार, भा0प्र0से0 (बी एचः88), आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया अपने कार्यो के अतिरिक्त आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर के और सुश्री टी0एन0 बिन्धेश्वरी, भा0प्र0से0 (बी एचः90), आयुक्त, कोसी प्रमंडल, सहरसा अपने कार्यो के अतिरिक्त आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह ,अवर सचिव ।

———

1 जुलाई 2016

सं० **1/ पी0–1001/2016(खंड–2) –सा0प्र0**–9312––श्री अतुल प्रसाद, भा0प्र0से0 (87) , आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर अगले आदेश तक आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह ,अवर सचिव ।

1 जुलाई 2016

सं० 1/अ0–07/2011–सा0प्र0–**9331**––श्रीमती रचना पाटिल, भा0प्र0से0 (2010), जिला पदाधिकारी, वैशाली (हाजीपुर) को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम–10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 01.07.2016 से दिनांक 10.07.2016 तक कुल 10(दस) दिनों के उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह ,अवर सचिव।

———

2 जुलाई 2016

सं० **1/पी0–1001/2016–सा0प्र0–9333**––श्री सुधीर कुमार,भा0प्र0से0(88), आयुक्त, पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया(अतिरिक्त प्रभार–आयुक्त, भागलपुर प्रमण्डल, भागलपुर) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० **1/पी0–1001/2016–सा0प्र0–9334**––सुश्री टी.एन. बिन्धेश्वरी,भा0प्र0से0(90), आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा (अतिरिक्त प्रभार–आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक आयुक्त, पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० **1/पी0–1001/2016–सा0प्र0–9335**––श्री नर्मदेश्वर लाल,भा0प्र0से0(98), सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० **1/पी0–1001/2016–सा0प्र0–9336**––श्री शशि भूषण कुमार ,भा0प्र0से0(2000), निदेशक, आई0सी0डी0एस0, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० **1/पी0–1001/2016–सा0प्र0–9337**––श्री आदित्य कुमार दास,भा0प्र0से0(2006), निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बिहार, पटना को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक उत्पाद आयुक्त–सह–निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० **1/पी0–1001/2016–सा0प्र0–9338**––श्री रामाशंकर प्रसाद दफ्तुआर, भा0प्र0से0 (2006), संयुक्त सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, आई0सी0डी0एस0, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री दफ्तुआर अपने सभी कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बिहार, पटना के भी प्रभार में रहेंगे।

सं० **1/पी0–1001/2016–सा0प्र0–9339**––श्री मो0 सलीम,भा0प्र0से0(2006), श्रमायुक्त, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना (अतितिरक्त प्रभार–संयुक्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० **1/पी0–1001/2016–सा0प्र0–9340**––श्री नरेन्द्र प्रसाद मण्डल, भा0प्र0से0(2006), संयुक्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना (अतिरक्त प्रभार–अपर परियोजना निदेशक, बिहार आपदा पुर्नवास एवं पुनर्निर्माण समिति, योजना एवं विकास विभाग) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक निबंधक, सहयोग समितियॉं, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० **1/पी0–1001/2016–सा0प्र0–9341**—श्री गोपाल मीणा,भा0प्र0से0(2007), निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक श्रमायुक्त, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह ,अवर सचिव।

---

2 जुलाई 2016

सं० 1/सी0–1024/2014–सा0 प्र0–9342—श्री रामबुझावन चौधरी, भा0प्र0से0(1999), सम्प्रति विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को पदग्रहण की तिथि से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान (पी0बी0–4 ₹.37,400–67,000+ग्रेड पे–10,000/–) में प्रोन्नति प्रदान कर स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अपर सदस्य, राजस्व पर्षद्, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं०1/सी0–1024/2014–सा0 प्र0–9343—श्री नवीन चन्द्र झा, भा0प्र0से0(2000), सम्प्रति राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को पदग्रहण की तिथि से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान (पी0बी0–4 ₹.37,400–67,000+ग्रेड पे–10,000/–) में प्रोन्नति प्रदान कर स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं०1/सी0–1024/2014–सा0 प्र0–9344—श्री अजय कुमार चौधरी, भा0प्र0से0(2000), सम्प्रति निबंधक, सहयोग समितियॉं, बिहार, पटना को पदग्रहण की तिथि से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान (पी0बी0–4 ₹.37,400–67,000+ग्रेड पे–10,000/–) में प्रोन्नति प्रदान कर स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक आयुक्त, भागलपुर प्रमण्डल, भागलपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं०1/सी0–1024/2014–सा0 प्र0–9345—श्री अरविन्द कुमार सिंह ,भा0प्र0से0(2000), सम्प्रति विशेष सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना को पदग्रहण की तिथि से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान (पी0बी0–4 ₹.37,400–67,000+ग्रेड पे–10,000/–) में प्रोन्नति प्रदान कर स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक निःशक्तता आयुक्त, बिहार, पटना के पद पर पस्थापित किया जाता है।

सं०1/सी0–1024/2014–सा0 प्र0–9346—श्री कुंवर जंग बहादुर ,भा0प्र0से0(2000), सम्प्रति उत्पाद आयुक्त–सह–निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना को पदग्रहण की तिथि से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान (पी0बी0–4 ₹.37,400–67,000+ग्रेड पे–10,000/–) में प्रोन्नति प्रदान कर स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह ,अवर सचिव।

---

2 जुलाई 2016

सं० 1/पी0–1001/2016–सा0प्र0–9347—श्री एस0 सिद्धार्थ, भा0प्र0से0(91), प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार फाउण्डेशन, पटना) अपने सभी कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक प्रधान सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के भी प्रभार में रहेंगे।

सं० 1/पी0–1001/2016–सा0प्र0–9348—श्री राम किशोर मिश्रा, भा0प्र0से0 (2006), संयुक्त सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना {अतिरिक्त प्रभार–प्रशासन (मु0),बिहार राज्य पथ परिवहन निगम,

पटना} अपने सभी कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना के भी प्रभार में रहेंगे।

सं० 1/पी0—1001/2016—सा0प्र0—9349—श्री संजय कुमार सिंह, भा0प्र0से0(2007), संयुक्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार—अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास मिशन, पटना)) अपने सभी कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के भी प्रभार में रहेंगे।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह ,अवर सचिव।

---

4 जुलाई 2016

सं० 1/ मु0—1005/2016—सा0प्र0—9377—विभागीय संकल्प ज्ञापांक—**9376** दिनांक **04.07.2016** के आलोक में श्री अनिल कुमार महाजन, भा0प्र0से0 (बी एचः77)—सेवानिवृत्त को चयन ग्रेड (विशेष सचिव स्तर), अधिसमय वेतनमान (सचिव स्तर), अधिसमय से ऊपर के वेतनमान(उच्च प्रशासनिक ग्रेड—पुनरीक्षित) और स्थिर वेतनमान (मुख्य सचिव स्तर) में श्री फूल सिंह, भा0प्र0से0 (बी एचः77)— सेवानिवृत्त को इन स्तरों में प्रदत्त प्रोन्नतियों की तिथियों से सेवागत सभी लाभों (आर्थिक लाभ सहित) के साथ प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह ,अवर सचिव।

---

4 जुलाई 2016

सं० 1/सी0—1028/2010—सा0 प्र0—9383—श्री एच0आर0 श्रीनिवास, भा0प्र0से0 (बी एच : 96) के पदाधिकारी होने के कारण अधिसमय वेतनमान में प्रोन्नति की पात्रता दिनांक 01.01.2012 को परिपक्व हुई थी। श्री श्रीनिवास तत्समय कर्नाटक राज्य में अन्तः संवर्गीय प्रतिनियुक्ति पर थे। उक्त अवधि में अनिवार्य कार्यों से निष्पादन से सम्बद्ध रहने के कारण कर्नाटक सरकार द्वारा उन्हें अनिवार्य सेवाकालीन प्रशिक्षण चरण—IV के लिए विरमित नहीं किया जा सका था । फलस्वरुप उनके द्वारा प्रासंगिक प्रशिक्षण समय पर पूर्ण नहीं किया जा सका।

2. कर्नाटक राज्य की अन्तः संवर्गीय प्रतिनियुक्ति से बिहार सवंर्ग (पैतृक संवर्ग) में वापस आने के उपरान्त श्री श्रीनिवास द्वारा दिनांक 14.08.2014 को अनिवार्य सेवाकालीन प्रशिक्षण चरण—IV को पूरा किया गया। तद्न्तर, विभागीय अधिसूचना संख्या—14937 दिनांक 03.11.2014 द्वारा उन्हें अधिसमय वेतनमान में विधिवत् प्रोन्नति प्रदान की गयी ।

3. अधिसमय वेतनमान में प्रदत्त उपर्युक्त प्रोन्नति को अनुमान्यता की वास्तविक तिथि से पुनरीक्षित किये जाने के संबध में श्री श्रीनिवास द्वारा समर्पित अभ्यावेदन पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली से मार्गदर्शन प्राप्त किया गया । प्राप्त मार्गदर्शन के अनुसार श्री श्रीनिवास को उनके ठीक कनीय {श्री विमला नन्द झा, भा0प्र0से0 (96) } को अधिसमय वेतनमान में प्रदत्त प्रोन्नति की तिथि '13.02.2012' से अधिसमय वेतनमान में अनुमान्य है।

4. वर्णित आलोक में श्री एच0 आर0 श्रीनिवास, भा0प्र0से0 (बी एच : 96) को अधिसमय वेतनमान में प्रदत्त प्रोन्नति की तिथि 03.11.2014 को दिनांक 13.02.2012 के भूतलक्षी प्रभाव से पुनरीक्षित किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह ,अवर सचिव।

14 जून 2016

सं० 1/अ0–06/2008–सा0प्र0–**8523**—श्री त्रिपुरारि शरण, भा0प्र0से0 (85), प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम–10,11 एवं 20 के अधीन निजी खर्च पर विदेश (रूस–साईबेरिया एवं मंगोलिया) यात्राा हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या–6032 दिनांक 28.04.2016 द्वारा दिनांक 26.05.2016 से 09.06.2016 तक कुल 15 (पन्द्रह) दिनों के उपार्जित अवकाश (एक्स इंडिया लिव के रूप में) स्वीकृत किया गया था और प्रासंगिक अनुपस्थिति की अवधि के लिए श्री दीपक कुमार सिंह, भा0प्र0से0 (92) को सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था।

2. श्री शरण से प्राप्त अवकाश विस्तारण संबंधी आवेदन के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या–6032 दिनांक 28.04.2016 द्वारा स्वीकृत आलोच्य उपार्जित अवकाश को दिनांक 19.06.2016 तक कुल 10 दिनों के लिए विस्तारित किया जाता है।

3. श्री दीपक कुमार सिंह, भा0प्र0से0 (92), सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना विस्तारित अवकाश की प्रासंगिक अवधि में सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में पूर्ववत् बने रहेंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह ,अवर सचिव।

---

22 जून 2016

सं० 1/अ0–06/2008–सा0प्र0–**8826**—श्री त्रिपुरारि शरण, भा0प्र0से0 (85), प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम–10,11 एवं 20 के अधीन निजी खर्च पर विदेश (रूस–साईबेरिया एवं मंगोलिया) यात्राा हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या–6032 दिनांक 28.04.2016 द्वारा दिनांक 26.05.2016 से 09.06.2016 तक कुल 15 (पन्द्रह) दिनों का उपार्जित अवकाश एक्स इंडिया लीव के रूप में स्वीकृत किया गया था और प्रासंगिक अनुपस्थिति की अवधि के लिए श्री दीपक कुमार सिंह, भा0प्र0से0 (92) को सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था।

2. श्री शरण से प्राप्त अवकाश विस्तारण संबंधी आवेदन के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या–8523 दिनांक 14.06.2016 द्वारा प्रासंगिक अनुपस्थिति की अतिरिक्त प्रभार संबंधी व्यवस्था को अपरिवर्तित रखते हुए स्वीकृत आलोच्य उपार्जित अवकाश को दिनांक 19.06.2016 तक अर्थात् कुल 10 दिनों के लिए विस्तारित किया गया था।

3. श्री शरण द्वारा अवकाश संशोधन के संबंध में पुनः समर्पित अनुरोध के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या–6032 दिनांक 28.04.2016 तथा अधिसूचना संख्या–8523 दिनांक 14.06.2016 द्वारा स्वीकृत उपार्जित अवकाश को संशोधित करते हुए दिनांक 26.05.2016 से 12.06.2016 तक अर्थात् कुल 18 दिनों के लिए स्वीकृत किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह ,अवर सचिव।

---

22 जून 2016

सं० 1/अ0–05/2010–सा0प्र0–**8827**—श्री पंकज कुमार पाल, भा0प्र0से0 (2002), जिला पदाधिकारी, पूर्णिया को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम–10,11 एवं 20 के अधीन विभागीय अधिसूचना संख्या–7729 दिनांक 31.05.2016 द्वारा दिनांक 02.06.2016 से 12.06.2016 तक कुल 11 (ग्यारह) दिनों के उपार्जित की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2. श्री पाल से प्राप्त अवकाश संशोधन संबंधी आवेदन के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या–7729 दिनांक 31.05.2016 द्वारा दिनांक 02.06.2016 से 12.06.2016 तक के लिए स्वीकृत आलोच्य उपार्जित अवकाश को दिनांक 02.06.2016 से 06.06.2016 तक के लिए स्वीकृत किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह ,अवर सचिव।

सं० 1 /सी0–1003/2016–सा0प्र0–9272

संकल्प

30 जून 2016

विषयः– गैर–राज्य असैनिक सेवा से चयन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति हेतु प्राप्त अनुशंसाओं की स्क्रीनिंग हेतु स्क्रीनिंग समिति (अनौपचारिक समूह) का गठन।

भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्त्ती) नियमावली, 1954 के नियम–8 (2) तथा भा0प्र0से0 (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1997 के तहत गैर–राज्य असैनिक सेवा से भा0प्र0से0 में चयन वर्ष, 2015 हेतु चयन

द्वारा नियुक्ति के निमित्त विभिन्न विभागों से प्राप्त अनुशंसाओं पर विचार (स्क्रीनिंग) कर नियुक्ति हेतु प्रस्ताव संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली भेजा जाना है।

2. गैर–राज्य असैनिक सेवा से चयन द्वारा भा0प्रसे0 में चयन वर्ष, 2015 की नियुक्ति हेतु विभिन्न विभागों से प्राप्त अनुशंसाओं पर विचार के लिये स्क्रीनिंग समिति (अनौपचारिक समूह) का गठन निम्नवत् किया जाता हैः–

(i) मुख्य सचिव, बिहार –अध्यक्ष ।

(ii) अध्यक्ष–सह–सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना –सदस्य।

(iii) विकास आयुक्त, बिहार –सदस्य।

(iv) प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना –सदस्य ।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी एक प्रति संबंधित पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह ,अवर सचिव।

सं० 1 /मु0–1005/2016–सा0प्र0–9376

संकल्प

4 जुलाई 2016

विषयः– **सिविल अपील संख्या–4944/2013 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–02.07.2013 को पारित आदेश के अनुपालन में श्री अनिल कुमार महाजन, भा0प्र0से0 (बी एचः77)–सेवानिवृत्त की भा0प्र0से0 के चयन ग्रेड (विशेष सचिव स्तर), अधिसमय वेतनमान (सचिव स्तर), अधिसमय से ऊपर के वेतनमान(उच्च प्रशासनिक ग्रेड–पुनरीक्षित) और स्थिर वेतनमान (मुख्य सचिव स्तर) में प्रोन्नति ।**

श्री अनिल कुमार महाजन,भा0प्र0से0 (बिहार संवर्ग) के 1977 बैच के पदाधिकारी थे। सेवा में रहते हुए, श्री महाजन कई अवसरों पर निलंबित हुए थे जिनका विवरण सिविल अपील संख्या–4944/2013 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 02.07.2013 को पारित आदेश में अंकित है। इस क्रम में अंतिम निलंबन आदेश विभागीय आदेश ज्ञापांक 4917 दिनांक 20.05.1993 से पारित हुआ था। विभागीय आदेश ज्ञापांक–8763 दिनांक–26.09.2005 द्वारा उन्हें दिनांक 23.10.1998 के प्रभाव से निलंबन मुक्त किया गया।

2. संचालन पदाधिकारी के दिनांक 08.12.2004 के जाँच– प्रतिवेदन पर विधिवत विचारोपरान्त कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के आदेश दिनांक 15.10.2007 द्वारा उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान की गयी। भारत सरकार के इस आदेश में निहित निर्णय निम्नवत् है :–

" ---------- His conduct and behavior clearly reflect loss of mental stability.Therefore, in the opinion of Central Government, Shri A.K. Mahajan is unfit to be retained in the service and the ends of justice would be met in this case if a penalty of compulsory retirement is imposed on Shri A.K. Mahajan, IAS"

" NOW, THEREFORE, the Central Government has decided that a penalty of compulsory retirement be imposed on Shri A.K. Mahajan, IAS (BH:77)"

3. भारत सरकार द्वारा पारित अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश को श्री महाजन द्वारा न्यायिक प्रक्रिया से चुनौती दी गयी। मामले का अंतिम निष्पादन सिविल अपील संख्या–4944/2013 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 02.07.2013 को पारित आदेश से हुआ है। उक्त आदेश के निर्णायक भाग निम्नवत् हैं:–

(i) Para-19

" In view of the aforesaid finding, we are of the view that it was not open to the authoritites to dispense with the service of the appellant or to compulsory retire him from service. The High Court also

failed to notice the relevant fact and without going into the merit allowed the counsel to withdraw the writ petition merely on the basis of the finding of Inquiry officer. In fact the High Court ought to have referred the matter to a Medical Board to find out whether the appellant was insane and if so found, in that case instead of dismissing the case as withdrawan, the matter should have been decided on merit by appointing an Advocate as amicus curiae."

(ii) Para-20

" It is informed at the bar that in normal course the appellant would have superannuated from service on 31st July,2012. In that view of the matter, now there is no question of reinstatement of the appellant though he may be entitled for consequential benefits including arrears of pay. Having regard to the facts and finding given above, we have no other option but to set aside the order of compulsory retirement of the appellant dated 15 th October,2007 passed by the respondents; the order dated 22nd December,2008 passed by the Central Administrative Tribunal, Principal Bench, New Delhi in O.A. No.2784/2008 and the impugned order dated 20th April,2010 passed by the High Court of Delhi in W.P.(C) No.2622/2010 and the case is remitted to the respondents with a direction to treat the appellant continued in the service till the date of his superannuation. The appellant shall be paid full salary minus the subsistence allowance already received for the period from the date of initiation of departmental proceeding on the ground that he was suffering from mental illness till the date of compulsory retirement. The appellant shall also be provided with full salary from the date of compulsory retirement till the date of superannuation in view of the first and second proviso to Section 47 of the Act, 1955. If the appellant has already been superannuated, he will also be entitled to full retiral benefits counting the total period in service. The benefits shall be paid to the appellant within three months, else the respondents will be liable to pay interest at the rate of 6% per annum from the date the amount was due, till the actual payment."

4. सिविल अपील संख्या–4944/2013 के आदेश के अनुपालन के लिए तय सीमा में वृद्धि की याचना माननीय सर्वोच्च न्यायालय से की गयी थी। इनका निस्तारण करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 29.10.2013 को आदेश पारित किया गया था। उक्त आदेश में प्रासंगिक अनुपालन हेतु दिनांक 29.10.2013 से 60 दिनों का अतिरिक्त समय प्रदान किया गया था। आदेश के अनुपालन में प्रदत्त सेवागत और सेवांत लाभों की राशि से असंतुष्ट होते हुए श्री महाजन द्वारा मामले में अवमाननावाद (संख्या–861/2015) दायर किया गया है। उक्त अवमाननावाद पर विचार के क्रम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा श्री महाजन के दावों पर पुनर्विचार करने का आदेश दिनांक 18.04.2016 को पारित किया गया है।

5. श्री महाजन के प्रासंगिक अवमाननावाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.04.2016 को पारित आदेश के आलोक में मामले पर पुनर्विचार किया गया। विधिवत विचारण के क्रम में यह स्थापित हुआ कि प्रोन्नति आदि के संबंध में श्री महाजन द्वारा किया गया दावा " The Persons with disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act,1955" के प्रावधानों के तहत विचारणीय है।

6. श्री महाजन को उनके सेवा काल में कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (अपर सचिव स्तर, वेतनमान–रू॰ 12,750–375–16,500) में प्रोन्नति प्रदत्त थी। सिविल अपील संख्या–4944/2013 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में चयन ग्रेड (विशेष सचिव स्तर), अधिसमय वेतनमान (सचिव स्तर), उच्च प्रशासनिक ग्रेड (प्रधान सचिव स्तर) और स्थिर वेतनमान (मुख्य सचिव स्तर) में प्रोन्नति हेतु श्री महाजन की पात्रता निरूपित होती है। भारत सरकार द्वारा निर्गत प्रोन्नति संबंधी मार्गदर्शिका के अनुसार श्री महाजन को ये प्रोन्नतियाँ उनसे कनीय पदाधिकारी, श्री फूल सिंह (बी एचः1977)– सेवानिवृत्त को इन ग्रेडों में प्रदत्त प्रोन्नतियों की तिथियों से अनुमान्य होंगी।

7. वर्णित आलोक में सिविल अपील संख्या–4944/2013 (श्री अनिल कुमार महाजन बनाम भारत संघ एवं अन्य) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में श्री अनिल कुमार महाजन, भा0प्र0से0 (बी एचः77)–सेवानिवृत्त को चयन ग्रेड (विशेष सचिव स्तर), अधिसमय वेतनमान (सचिव स्तर) , अधिसमय से ऊपर के वेतनमान (उच्च प्रशासनिक ग्रेड– पुनरीक्षित) और स्थिर वेतनमान (मुख्य सचिव स्तर) में श्री फूल सिंह, भा0प्र0से0 (बी एचः77)– सेवानिवृत्त को इन स्तरों में प्रदत्त प्रोन्नतियों की तिथियों से

सेवागत सभी लाभों (आर्थिक लाभ सहित) के साथ प्रोन्नति प्रदान करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी एक प्रति संबंधित पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह ,अवर सचिव।

लोकायुक्त का कार्यालय,
4, कौटिल्य मार्ग, पटना–1

अधिसूचनाएं
18 मई 2016

सं0 3/लोक(स्था0)01/87–314—बिहार लोकायुक्त सेवा शर्त्तें नियमावली 1974 के नियम 23 एवं 24 के आलोक में इस कार्यालय में रिक्त आप्त सचिव बिहार लोकायुक्त कार्यालय संवर्ग के दो पदों पर वरीयता क्रमानुसार श्री रामजन्म कुमार निराला, निजी सहायक एवं श्री ललन सिंह, निजी सहायक को वेतन बैंड–9300–34,800 पे बैण्ड–2 ग्रेड पे–4800/रू0 में योगदान की तिथि से प्रोन्नति दी जाती है ।

चूकि श्री रामजन्म कुमार निराला एवं श्री ललन सिंह, वेतन बैंड–9300–34,800 पे बैण्ड–2 ग्रेड पे–5400/रू0 में वेतन प्राप्त कर रहे हैं इसलिए इन्हें अतिरिक्त वेतन का लाभ देय नहीं होगा ।

(2) इस आदेश के तहत दी जाने वाली संवर्गीय प्रोन्नतियाँ औपबंधिक होगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक 4800 दिनांक 01.04.2016 के कंडिका 11 (iv) के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस0एल0पी0 सी0 संख्या–29770/2015, बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होंगी ।

अध्यक्ष, लोकायुक्त बिहार के आदेश से,
(ह०) अस्पट, सचिव, लोकायुक्त कार्यालय।

---

18 मई 2016

सं0 3/लोक(स्था0)7/97–315—बिहार लोकायुक्त सेवा शर्त्तें नियमावली 1974 के नियम 23 एवं 24 के आलोक में इस कार्यालय में रिक्त अवर सचिव बिहार लोकायुक्त कार्यालय संवर्ग के तीन पदों पर वरीयता क्रमानुसार (1) श्री अमरेश कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, (2) श्री सिकंदर सिंह, प्रशाखा पदाधिकारी एवं (3) श्री संजीव कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी को वेतन बैंड–15,600–39,100 पे बैण्ड–3 ग्रेड पे–6600/रू0 में योगदान की तिथि से प्रोन्नति दी जाती है ।

(2) इस आदेश के तहत दी जाने वाली संवर्गीय प्रोन्नतियाँ औपबंधिक होगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक 4800 दिनांक 01.04.2016 के कंडिका 11 (iv) के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस0एल0पी0 सी0 संख्या–29770/2015, बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होंगी ।

अध्यक्ष, लोकायुक्त बिहार के आदेश से,
(ह०) अस्पट, सचिव, लोकायुक्त कार्यालय।

---

18 मई 2016

सं0 3/लोक(स्था0)28/2001–316— बिहार लोकायुक्त (सेवा शर्त्तें) नियमावली 1974 के नियम 23 एवं 24 के आलोक में इस कार्यालय में रिक्त प्रशाखा पदाधिकारी के पाँच पदों पर वेतन बैंड–9300–34,800 पे बैण्ड–2 ग्रेड पे–4800/रू0 में वरीयता क्रमानुसार निम्नांकित सहायकों को उनके योगदान की तिथि से प्रोन्नति दी जाती है :–

(1) श्री सुमन रंजन, (2) श्री कुन्दन कुमार (3) श्री पंकज कुमार (4) श्रीमती हेमलता कुमारी एवं (5) श्री पूर्ण चन्द दीपक बाजराय ।

(2) उपर्युक्त सभी सहायक वेतन बैंड 9300–34800 पे बैण्ड–2 ग्रेड पे–4800 में वेतन प्राप्त कर रहे हैं । अतः प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति के फलस्वरूप इन्हें कोई वित्तीय लाभ देय नहीं होगा।

(3) इस आदेश के तहत दी जाने वाली संवर्गीय प्रोन्नतियाँ औपबंधिक होगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक 4800 दिनांक 01.04.2016 के कंडिका 11 (iv) के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष

विचाराधीन एस0एल0पी0 सी0 संख्या–29770/2015, बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होंगी ।

अध्यक्ष, लोकायुक्त बिहार के आदेश से,
(ह०) अस्पट, सचिव, लोकायुक्त कार्यालय।

खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना

10 मई 2016

सं० 01-बी०एम०डी०-180–17/99–1374/एम०—बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड के निदेशक पर्षद् को तत्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निम्नांकित रूप से गठित किया जाता है-

1. श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना	अध्यक्ष
2. श्री अमृत लाल मीणा, प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, बिहार, पटना	सरकारी सदस्य
3. श्री पंकज कुमार सिंह, उद्योग निदेशक, बिहार, पटना	सरकारी सदस्य
4. श्री एच०आर० श्रीनिवास, सचिव (संसाधान), वित्त विभाग, बिहार, पटना	सरकारी सदस्य
5. श्री डी०के० शुक्ला, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना	सरकारी सदस्य

2. एतद् संबंधी पूर्व निर्गत अधिसूचनाएँ विलोपित की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुशील कुमार, अवर सचिव।

परिवहन विभाग

अधिसूचना

30 जून 2016

सं० 05/स्था0 (डी0टी0ओ0)– 30/2013–3103/परि0—परिवहन विभाग के निम्नलिखित क्रमांक 1 से 5 तक के करारोपण पदाधिकारी/अपर जिला परिवहन पदाधिकारी/जिला परिवहन पदाधिकारियों को स्थानांतरित करते हुए उनके नाम के सामने स्तम्भ– 5 में अंकित जिला में पदस्थापित किया जाता है। साथ ही, क्रमांक 6 से 8 में अंकित जिला परिवहन पदाधिकारियों को स्तम्भ– 5 में अंकित जिला का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है :–

क्र0सं0	पदाधिकारी का नाम	गृह जिला	वर्त्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन का पद एवं जिला
1	2	3	4	5
1	श्री दिवाकर झा	सहरसा	जिला परिवहन पदाधिकारी, गोपालगंज	जिला परिवहन पदाधिकारी, बक्सर
2	श्री निरंजन कुमार वर्णवाल	गया	जिला परिवहन पदाधिकारी, जहानाबाद	अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना
3	श्री जय प्रकाश नारायण	गाजीपुर (उ0प्र0)	जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा
4	श्री प्रभात कुमार	पटना	करारोपण पदाधिकारी, बलथरी चेकपोस्ट, गोपालगंज	जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर
5	श्री ब्रजेश कुमार	भोजपुर	जिला परिवहन पदाधिकारी, नवादा	जिला परिवहन पदाधिकारी, जहानाबाद
6	श्री मनोज कुमार शाही	गोपालगंज	जिला परिवहन पदाधिकारी, अररिया	जिला परिवहन पदाधिकारी, किशनगंज का अतिरिक्त प्रभार
7	श्री चितरंजन प्रसाद	मधुबनी	जिला परिवहन पदाधिकारी, शिवहर	जिला परिवहन पदाधिकारी, सीतामढ़ी का अतिरिक्त प्रभार
8	श्री विरेन्द्र प्रसाद	नालंदा	जिला परिवहन पदाधिकारी, सिवान	जिला परिवहन पदाधिकारी, गोपालगंज का अतिरिक्त प्रभार

2. यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

3. सभी स्थानांतरित पदाधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर अपने नव पदस्थापन स्थल पर योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट, अवर सचिव।

निगरानी विभाग सूचना भवन, पटना

अधिसूचना

5 जुलाई 2016

सं० नि0वि0/परि0/शिक्षा–156/2016–2495––माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–17506/2013 जितेन्द्र कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य में दिनांक 05.05.2016 को आदेश पारित कर नासरीगंज(राजपुर) थाना कांड सं0–24/2013 का अग्रतर अनुसंधान प्रभार निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा ग्रहण करने का आदेश दिया गया है। अतः अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण के लिए तत्कालिक प्रभाव से नासरीगंज(राजपुर) थाना कांड सं0–24/2013 के अधिग्रहण एवं अनुवर्त्ती अनुसंधान तथा पर्यवेक्षण के लिए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना को प्राधिकृत किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
उमेश चन्द्र विश्वास, अपर सचिव।

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

29 जून 2016

सं० ई 2–15/2000–2898–23––एल0पी0ए0 सं0– 692/1999 एवं एम0जे0सी0 सं0–1938/2000 (देवेन्द्र कुमार सिंह एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश एवं तद्नुसार बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 364 दिनांक 08.04.2004 द्वारा 36वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर राज्य सरकार के प्रतिवेदित संशोधित अनुशंसा सूची एवं कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक 13430 दिनांक 22.12.2008 द्वारा संसूचित राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0– ई2–15/2004–128 दिनांक 15.10.2009 द्वारा श्री मिर्जा आरिफ रजा अनुक्रमांक 41515 को बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग से परिवर्त्तित करते हुए बिहार निर्वाचन सेवा संवर्ग में अवर निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर दिनांक 18.05.1992 के प्रभाव से की गई वैचारिक नियुक्ति तथा अवर निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से वास्तविक रूप से की गई नियुक्ति को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0 सं0– 204/2010 में दिनांक 03.02.2016 को पारित न्यायादेश के आलोक में रद्द करते हुए उनकी सेवाएँ सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सौंपी जाती है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सोहन कुमार ठाकुर, संयुक्त सचिव–सह–संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी।

वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचना

29 जून 2016

सं० 6/प्रो0–6–05/2016(खण्ड–3)–2385––वा0कर–सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–10919/2015 बैद्यनाथ प्रसाद बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28.08.15 को पारित न्यायादेश के आलोक में श्री बैद्यनाथ प्रसाद, सेवानिवृत वाणिज्य–कर उपायुक्त को दिनांक 04.06.2014 के भूतलक्षी प्रभाव से उनसे कनीय श्री विनोद पाठक के योगदान तिथि 25.09.14 से आर्थिक लाभ सहित वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त कोटि वेतनमान् (37400–67000+ग्रेड पे–8700 रू0) के पद पर प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

2. प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से
(ह0) अस्पष्ट, अवर सचिव।

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचना

4 जुलाई 2016

सं० 1/सी01–01/2016 गृ.आ.–5174—कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के पत्रांक–25013/02/2005-AIS.II दिनांक 28.06.2012 से निर्गत दिशा–निर्देश के आलोक में अखिल भारतीय सेवायें (मृत्यु–सह–सेवांत लाभ) नियमावली, 1958 के नियम–16 (3) के अन्तर्गत बिहार संवर्ग के भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों के सेवाभिलेख की गहन समीक्षा हेतु निम्नवत् समिति गठित की जाती है :–

(i) मुख्य सचिव, बिहार	–	अध्यक्ष
(ii) पुलिस महानिदेशक, बिहार	–	सदस्य
(iii) श्री राजीव कुमार, भा0पु0से0 (झारखण्ड–1981), सम्प्रति महानिदेशक–सह–समादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा झारखण्ड, रॉची	–	सदस्य (बिहार संवर्ग के बाहर के पुलिस सेवा, महानिदेशक स्तर के पदाधिकारी के रूप में, जिनका गृह राज्य बिहार नहीं है)
(iv) श्री अमृत लाल मीणा, भा0प्र0से0 (बी0एच0–89) सम्प्रति प्रधान सचिव भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।	–	सदस्य (बिहार संवर्ग में प्रधान सचिव स्तर के अनु0जाति/अनु0जनजाति पदाधिकारी के रूप में)
(v) प्रधान सचिव/सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना	–	सदस्य सचिव

2. समिति बिहार संवर्ग के भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों के भारत सरकार के दिशा–निर्देश के आलोक में सेवाभिलेख की गहन समीक्षा कर अपनी अनुशंसा देगी ।

3. समिति की अनुशंसा राज्य सरकार के समक्ष रखी जायेगी । तत्पश्चात् राज्य सरकार की अनुशंसा गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भेजी जायेगी ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रंजन कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 17—571+100-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

पर्यावरण एवं वन विभाग

शुद्धि–पत्र

24 जून 2016

सं० भा०स्था० (02)–17/2011 (खण्ड I)2030/प०व०—विभागीय अधिसूचना संख्या–1666 दिनांक 20.05.2016 द्वारा श्री एस० चन्द्रशेखर, भा०व०से० (2003) को सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना के पद पर पदस्थापित किया गया है।

श्री एस० चन्द्रशेखर, भा०व०से० प्रवर कोटि वेतनमान (37400–67000/ग्रेड पे–8700) में प्रोन्नत पदाधिकारी हैं एवं इन्हें सम्प्रति वन संरक्षक कोटि वेतनमान (37400–67000/ग्रेड पे–8900) में प्रोन्नति नहीं दी गयी है। इन्हें कार्यहित में सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना के पद पर पदस्थापित किया गया है। अतएव श्री एस० चन्द्रशेखर, भा०व०से० (2003) अपने ही वेतनमान में सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना के पद पर पदस्थापित समझे जायेगे।

शेष यथावत रहेगा।

आदेश से,
रत्नेश झा, उप–सचिव।

शुद्धि–पत्र

24 जून 2016

सं० भा०स्था० (02)–17/2011 (खण्ड I)2031/प०व०—विभागीय अधिसूचना संख्या–1665 दिनांक 20.05.2016 द्वारा डॉ० गोपाल सिंह, भा०व०से० (2003) को वन संरक्षक, पटना अंचल, पटना के पद पर पदस्थापित किया गया है।

डॉ० गोपाल सिंह, भा०व०से० प्रवर कोटि वेतनमान (37400–67000/ग्रेड पे–8700) में प्रोन्नत पदाधिकारी हैं एवं इन्हें सम्प्रति वन संरक्षक कोटि वेतनमान (37400–67000/ग्रेड पे–8900) में प्रोन्नति नहीं दी गयी है। इन्हें कार्यहित में वन संरक्षक कोटि के पद पर पदस्थापित किया गया है। अतएव डॉ० गोपाल सिंह, भा०व०से० (2003) अपने ही वेतनमान में वन संरक्षक, पटना अंचल, पटना के पद पर पदस्थापित समझे जायेगे।

शेष यथावत रहेगा।

आदेश से,
रत्नेश झा, उप–सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 17—571+100-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

भाग-9(ख)

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय, सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।

स्वास्थ्य विभाग, देशी चिकित्सा,
राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषध निर्माणशाला,बिहार,पटना–3

निविदा सूचना
29 जून 2016

सं० 134 एतद् द्वारा सर्व साधरण को सूचित किया जाता है कि राजकीय आयुर्वेदिक एवं औषध निर्माणशाला,बिहार,पटना के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए गुणवत्तायुक्त कच्ची एवं काष्ठ औषधियाँ क्रय करने हेतु जड़ी–बूटी के अधिकृत बिक्रेताओं से तथा स्टेशनरी एवं विविध सामग्रियों के क्रय करने हेतु आपूर्तिकर्ताओं से मुहरबन्द निविदा,प्रकाशन की तिथि से 21 वें (इक्कीसवें) दिन के अन्दर अपराहन 5 बजे तक स्पीड पोस्ट या निबंधन डाक से,आमंत्रित की जाती है । यदि निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि को अवकाश होगा तो अगले कार्य दिवस को अंतिम तिथि माना जायेगा । अंतिम तिथि के बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा । निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि के अगले दिन अपराहन 01 बजे प्रबंधक कक्ष में क्रय समिति के सदस्यों के समक्ष निविदा खोली जाएगी । उक्त तिथि को अवकाश रहने की स्थिति में अगले कार्य दिवस को निविदा खोली जाएगी । निविदा खोलने की उक्त तिथि को निविदादाता या उनके द्वारा प्राध्किृत व्यक्ति उपस्थित रह सकते हैं ।

निविदा की निम्नलिखित शर्तें होगी :–

1. प्रतिष्ठाण को बिहार राज्य वाणिज्य–कर विभाग द्वारा निबंधित होने के प्रमाण–पत्र की छाया प्रति ,उक्त विभाग से प्राप्त अद्यतन स्वच्छता प्रमाण पत्र की छाया प्रति तथा आयकर पैन कार्ड की छाया प्रति संलग्न करना होगा ।

2. यदि एस.एस.आई का दावा है तो उसका निबंधन एवं अद्यतन प्रमाण पत्र देना होगा ।

3. निविदाताओं को अग्रधन के रूप में रू. 3000– (तीन हजार रूपये मात्रा) का बैंक ड्राफ्ट प्रबंधक, राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषध निर्माणशाला, बिहार, पटना के पदनाम से प्लेज कर संलग्न करना होगा । ध्यान रखें कि अग्रधन की राशि के रूप में दिया जा रहा बैंक ड्राफ्ट निविदा प्रकाशन की तिथि के बाद का होना चाहिए अन्यथा वह मान्य नहीं होगा ।

4. निविदा दो प्रकार की होगीः–

(क) तकनीकी निविदा – जिसमें सभी प्रकार के निविदा से संबंधित कागजात मुहरबंद होंगे । इस निविदा में अन्य कागजातों के अलावा जिस समाग्रीयों की आपूर्ति हेतु निविदा दे रहे हैं उनकी सूची संलग्न करना भी अनिवार्य है । जिसकी निविदा में ऐसी सूची नहीं होगी उस पर विचार नहीं किया जायेगा । इसके साथ हीं वाणिज्य–कर विभाग द्वारा जिस सामाग्री/सामाग्रियों की आपूर्ति हेतु निबंध्ति है, उसकी सूची संलग्न करना भी आवश्यक है । कच्ची एवं काष्ठ औषधियों की निविदा हेतु प्लास्टिक थैलियों में बंद असली नमूना (जिस पर निविदा में अंकित औषधियों का क्रमांक तथा निविदादाता का हस्ताक्षार रहना चाहिए) डाक द्वारा स्वीकार किया जायेगा,जिसके साथ दिये जाने वाले नमूनों की सूची रहना आवश्यक है । अग्रधन की राशि के रूप में दिया जा रहा बैंक ड्राफ्ट तकनीकी निविदा में ही देना होगा । निविदा की सभी शर्तें मान्य है–इस आशय का एक घोषणा पत्र निविदादाता को देना होगा अन्यथा निविदा अस्वीकृत कर दी जाएगी । तकनीकी निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में ही वित्तीय निविदा खोली जाएगी ।

(ख) वित्तीय निविदा– काष्ठ औषधियों/सामाग्रीयों का दर टैक्स सहित एवं टैक्स रहित मूल्य स्पष्ट रूप से लिखा रहना चाहिये ।

5. तकनीकी एवं वित्तीय निविदाएँ,जिन पर साफ–साफ अक्षरों में विविध तकनीकी निविदा और विविध वित्तीय निविदा अंकित होगा, को अलग–अलग लिफाफों में मुहरबंद कर उन्हें एक बड़े लिफाफे में डालकर मुहरबंद करके एवं उस लिफाफे के उपर निविदादाता को अपना नाम,पूरा पता और दूरभाष संख्या अंकित कर केवल निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से हीं भेजना होगा । निविदाएँ मुहरबंद होने पर हीं स्वीकार की जायेंगी ।

6. औषधियों / सामग्रीयों की आपूर्ति, औषध निर्माणशाला भवन तक,अपने खर्चे पर करनी होगी ।

7. स्वीकृत निविदादाता को पूरे वित्तीय वर्ष 2016–2017 तक आदेशानुसार औषधियों/सामग्रीयों की आपूर्ति निर्धारित तिथि के अंदर करनी होगी । ऐसा नहीं होने की स्थिति में प्रतिष्ठाण का अग्रधन जब्त कर एवं उन्हें काली सूची में डाल दिया जायेगा ।

8. सरकार के आदेशानुसार,टैक्स की कटौती आपूर्तिकर्ता के विपत्र से करके चालान द्वारा सरकारी खजाने में जमा करा दी जायेगी ।

9. गुणवत्तायुक्त कच्ची एवं काष्ठ औषधियॉ संतोषप्रद पाये जाने पर हीं संबंध्ति पदाधिकारियों द्वारा स्वीकृत की जायेगी अन्यथा आपूर्तिकर्ता को अपने खर्च पर वापस ले जाना होगा ।

10 निविदा को आंशिक या किसी भी पूर्ण रूप से स्वीकृत या रद्द करने का अधिकार प्रबंधक,राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषध निर्माणशाला, बिहार,पटना के पास सुरक्षित रहेगा ।

11 आवंटन रहने पर ही विपत्र का भुगतान होगा । इसके लिए अलग से किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करेगा ।

12 क्रय की जाने वाली काष्ठ औषधियों/सामग्रियों की सूची अपने प्रतिष्ठाण के पैड पर लिखित रूप से कार्यावधि में प्राप्त की जा सकती है । जिस प्रतिष्ठाण के नाम पर सूची निर्गत नहीं की गयी है,उसकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा ।

13 निविदा कम्पयूटराईज्ड होनी चाहिए । हस्तलिखित निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी । निविदा में किसी तरह की कटिंग या ओवरराईटिंग मान्य नहीं होगा ।

14 निविदा में अंकित कच्ची औषध द्रव्यों का नाम सूची में अंकित क्रमानुसार हिन्दी में अंकित करना अनिवार्य होगा । दर पूर्णांक में देना होगा तथा सभी औषधियों का दर प्रति किलो ग्राम/प्रति लीटर पर देना होगा । जिन औषधियों/सामानों का नाम निविदा में अंकित होगा उसी का दर देना होगा । अन्यथा की स्थिति में विचार नहीं किया जायेगा ।

15 यदि डाक सेवा में विलंब के कारण किसी की निविदा निर्धरित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त होती है तो वैसी स्थिति में निविदा अस्वीकृत समझी जायेगी एवं इसके लिए कार्यालय कतई जिम्मेवार नहीं होगा ।

16 निविदा के साथ औषध द्रव्यों/सामग्रियों का मुहरबंद नमूना रहना चाहिए तथा जिनका नमूना नहीं दिया जा सकता,उसके मेक का वर्णन अवश्य रहना चाहिए ।

17 किसी भी वाद का निपटारा पटना उच्च न्यायालय के अधीन होगा ।

आदेश से,

(ह०) अस्पष्ट, प्रबंधक, राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषध निर्माणशाला।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 17—571+100-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं० कारा / नि0को0(उपा0)–02–10 / 2014–3779
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)

संकल्प
23 जून 2016

चूँकि बिहा–राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री सीप्रियन टोप्पो, काराधीक्षक, मंडल कारा, मधुबनी के विरूद्ध तत्कालीन उपाधीक्षक से आपसी सामजस्य नहीं बनाने, जेनरेटर रहते हुए भी उसे मरम्मती नहीं कराने, कारा जैसे संवेदनशील स्थान पर बिजली विभाग से निदान हेतु ठोस कार्रवाई नहीं किये जाने, नियमित रूप से बैट्ररी की आपूर्ति नहीं किये जाने, किरासन तेल का उठाव नहीं किये जाने तथा बंदियों का पारिश्रमिक का भुगतान ससमय नहीं किये जाने से संबंधित कतिपय आरोप प्रतिवेदित है।

श्री टोप्पो का यह कृत्य उनकी कर्त्तव्य में लापरवाही, प्रशासनिक विफलता एवं कारा पर नियंत्रण में कमी का द्योतक है, जैसा कि संलग्न आरोप पत्र में वर्णित है।

2. अतः यह निर्णय लिया गया है कि श्री सीप्रियन टोप्पो, काराधीक्षक, मंडल कारा, मधुबनी के विरूद्ध संलग्न प्रपत्र में अंकित आरोपों की जाँच के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में विभागीय कार्यवाही संचालित की जाय।

3. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17(2) के तहत् संयुक्त विभागीय जाँच आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को संचालन पदाधिकारी तथा अधीक्षक, मंडल कारा, समस्तीपुर को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. श्री टोप्पो से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।

5. विभागीय कार्यवाही के संचालन के प्रस्ताव पर राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।

6. संचालन पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन निर्धारित अवधि के अन्दर समर्पित करेंगे।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राजीव वर्मा, संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्र0)।

सं० कारा / नि0को0(उपा0)–02–10 / 2014–3778

संकल्प
23 जून 2016

चूँकि बिहार–राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री सुरेश चौधरी, तत्कालीन उपाधीक्षक, मंडल कारा, मधुबनी सम्प्रति अधीक्षक, मंडल कारा, सुपौल के विरूद्ध अधीक्षक से आपसी सामजस्य नहीं बनाने, जेनरेटर रहते हुए भी उसे

मरम्मती नहीं कराने, कारा जैसे संवेदनशील स्थान पर बिजली विभाग से निदान हेतु ठोस कार्रवाई नहीं किये जाने, नियमित रूप से बैट्ररी की आपूर्ति नहीं किये जाने, किरासन तेल का उठाव नहीं किये जाने तथा बंदियों का पारिश्रमिक का भुगतान ससमय नहीं किये जाने से संबंधित कतिपय आरोप प्रतिवेदित है।

श्री चौधरी का यह कृत्य उनकी कर्त्तव्य में लापरवाही, मनमानी, अनुशासनहीनता एवं आदेशोल्लघन का द्योतक है, जैसा कि संलग्न आरोप पत्र में वर्णित है।

2. अतः यह निर्णय लिया गया है कि श्री सुरेश चौधरी, तत्कालीन उपाधीक्षक, मंडल कारा, मधुबनी सम्प्रति अधीक्षक, मंडल कारा, सुपौल के विरूद्ध संलग्न प्रपत्र में अंकित आरोपों की जाँच के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में विभागीय कार्यवाही संचालित की जाय।

3. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17(2) के तहत् संयुक्त विभागीय जाँच आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को संचालन पदाधिकारी तथा अधीक्षक, मंडल कारा, समस्तीपुर को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. श्री चौधरी से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।

5. विभागीय कार्यवाही के संचालन के प्रस्ताव पर राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।

6. संचालन पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन निर्धारित अवधि के अन्दर समर्पित करेंगे।

आदेशः— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
राजीव वर्मा, संयुक्त सचिव—सह—निदेशक (प्र0)।

सं० कारा / नि0को0(विविध0)—10—22 / 2015—3815

संकल्प
24 जून 2016

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री जितेन्द्र कुमार, काराधीक्षक, शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर के द्वारा विशेष केन्द्रीय कारा, भागलपुर में अपने पदस्थापन अवधि में दवा क्रय करने में वित्तीय अनियमितता बरतने तथा केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर में वर्त्तमान पदस्थापन अवधि में जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के द्वारा उनके विरूद्ध प्रतिवेदित कतिपय आरोप के अनुसार कर्त्तव्य में लापरवाही एवं विभागीय प्रावधान का उल्लंघन किया गया है, साथ ही उनका यह कृत्य बिहार कारा हस्तक—2012 के विहित प्रावधानों के सर्वथा प्रतिकूल है।

2. अतः उक्त गंभीर अनियमितताओं के आलोक में श्री जितेन्द्र कुमार, काराधीक्षक, शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उन्हें केन्द्रीय कारा, पूर्णियाँ में संलग्न किया जाता है।

3. श्री कुमार के विरूद्ध अलग से विभागीय कार्यवाही संस्थित करने की कार्रवाई की जायेगी।

4. श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के विहित प्रावधानों के अन्तर्गत उन्हें नियमानुसार जीवन यापन भत्ता संलग्न कारा से देय होगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
राजीव वर्मा, संयुक्त सचिव—सह—निदेशक (प्र0)।

सं० कारा / प्रो0(स्था0)—10—52 / 14—155

संकल्प
5 मई 2016

चूँकि बिहार—राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री कुमार अभिनव प्रोबेशन पदाधिकारी, प्रक्षेत्रीय जिला प्रोबेशन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर दिनांक 29.09.15 से 13.10.15 तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे है जो उनकी कर्तव्य में लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं कदाचार का द्योतक है।

2. श्री कुमार अभिनव प्रोबेशन पदाधिकारी, प्रक्षेत्रीय जिला प्रोबेशन कार्यालय, मुजफ्फरपुर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली—2005 के नियम—9 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

3. निलम्बनवस्था में श्री अभिनव को प्रक्षेत्रीय जिला प्रोबेशन, कार्यालय बेऊर, पटना के साथ संलग्न किया जाता है। श्री अभिनव को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली—2005 के अनुसार निलम्बनवस्था में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

4. इनके विरूद्व विभागीय कार्यवाही संस्थित करने का आदेश अलग से निर्गत किया जाएगा।

आदेशः— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
राजीव वर्मा, संयुक्त सचिव—सह—निदेशक (प्र0)।

जल संसाधन विभाग

अधिसूचनाएं
5 मई 2016

सं० 22 नि0 सि0 (सिवान)—11—05/2015—735—श्री इन्द्रजीत कुमार सिंह (आई0 डी0—3502), कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, एकमा को उनके पदस्थापन अवधि में दिनांक 30.05.15 को आयोजित राज्य स्तरीय बैठक में सिवान परिक्षेत्र के पश्चिमी गंडक नहर पुनर्स्थापन कार्य के प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि योजना कार्य की प्रगति निर्धारित ओ0 आई0 एस0 के अनुसार नहीं है। फलस्वरूप अधीक्षण अभियंता, सारण नहर अंचल, छपरा द्वारा एकरारनामा के कंडिका—2 के अनुरूप संवेदक से 2 प्रतिशत की दर से वसूली करने का निदेश दिया गया है। इसके बावजूद श्री सिंह द्वारा संवेदक से वसूली की कार्रवाई नहीं की गयी हैं साथ ही मिट्टी एवं संरचना के कार्य की समानुपातिक प्रगति एवं भुगतान सुनिश्चित नहीं किया गया है। इस हेतु विभागीय पत्रांक मो0—2 सिवान (प्रगति प्रतिवेदन) 11/2012—779/पटना दिनांक 01.06.2015 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण पूछा गया कि क्यों नहीं इसके लिए आपको दोषी माना जाय?

उक्त के क्रम में श्री सिंह द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पत्रांक 523 दिनांक 01.06.2015 में कहा गया कि संवेदक द्वारा समर्पित ओ0 आई0 एस0 (पुर्नरीक्षित) के अनुसार दिनांक 27.05.2015 तक इन्हें मिट्टी कार्य 1.89 लाख घनमीटर तथा पी0 सी0 सी0 कार्य 839 घनमीटर करना था, किन्तु इनके द्वारा मिट्टी कार्य 1.50 लाख घनमीटर एवं पी0 सी0 सी0 कार्य 2000 घनमीटर किया गया है। इस प्रकार निर्धारित लक्ष्य से मिट्टी कार्य 0.39 लाख घनमीटर कम तथा पी0 सी0 सी0 कार्य 1161 घनमीटर अधिक है, जिसका ओभर ऑल राशि निर्धारित लक्ष्य से अधिक है कराये गये कार्य की राशि लक्ष्य से अधिक रहने के कारण राशि की कटौती नहीं की गयी। इस राशि को अगले विपत्र से कटौती कर ली जायेगी।

श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा मोनिटरिंग अंचल स्तर पर की गई। जिसमें पाया गया कि इनका बचाव बयान स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि एकरारनामा के अनुसार प्रत्येक आईटम में ओ0 आई0 एस0 के अनुरूप प्रगति होनी चाहिए एवं जिस आईटम के विरूद्ध प्रगति नहीं होती है उसमें एकरारनामा के अनुसार दंड स्वरूप कटौती करनी है। अतः श्री सिंह ने न केवल अपने कर्त्तव्य का निर्वहन नहीं किया बल्कि अपने नियंत्री पदाधिकारी अधीक्षण अभियंता द्वारा आदेश पारित होने के बावजूद उसे गंभीरता से नहीं लिया। फलस्वरूप उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री सिंह को विभागीय अधिसूचना सं0—1732 दिनांक 06.08.15 द्वारा ''असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक'' का दण्ड अधिरोपित किया गया है।

उक्त अधिरोपित दण्ड के विरूद्ध श्री सिंह के पत्रांक 874 दिनांक 15.09.15 द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी दिया गया। जिसकी समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षा में पाया गया कि श्री सिंह, कार्यपालक अभियंता द्वारा कहा गया है अधीक्षण अभियंता के पत्रांक 409 दिनांक 21.04.15 से निर्गत दण्डादेश में राशि का निर्धारण नहीं रहने के कारण संवेदक के विपत्र से एस0 बी0 डी0 के एकरारनामा के कंडिका 02 के तहत दण्ड की राशि की कटौती नहीं की गयी। चूँकि विभागीय समीक्षात्मक बैठक में आरोपी श्री सिंह, कार्यपालक अभियंता भी उपस्थित थे। वे भली—भाँति अवगत थे कि निर्धारित माइल स्टोन के अनुरूप कार्यों की प्रगति नहीं होने पर एस0 बी0 डी0 के कंडिका 02 के अनुरूप कार्रवाई करनी है। अगर अधीक्षण अभियंता द्वारा दण्ड की राशि का निर्धारण नहीं किया गया था तो इनके द्वारा कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर दण्ड की राशि की गणना करते हुए प्रस्ताव अधीक्षण अभियंता को भेजा जाता एवं इसके अनुमोदनोपरान्त संवेदक के विपत्र से दण्ड की राशि की कटौती करनी चाहिए थी। पुनर्विलोकन अर्जी के साथ ऐसा कोई साक्ष्य अथवा बयान नहीं दिया गया है, जिससे परिलक्षित हो सके कि एस0 बी0 डी0 के कंडिका 02 के संदर्भ में विभाग द्वारा दिये गये आदेश के आलोक में कोई कार्रवाई की गयी हो। अतएव श्री सिंह के पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत करते हुए पूर्व में अधिरोपित निम्न दण्ड को बरकरार रखने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया हैः—

''असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक''

उक्त निर्णय श्री इन्द्रजीत कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, एकमा को संसूचित किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
गजानन मिश्र, संयुक्त सचिव।

---

5 मई 2016

सं० 22 नि0 सि0 (सिवान)—11—05/2015—736—श्री शशि कुमार चौधरी (आई0 डी0—4383), अधीक्षण अभियंता, सारण नहर अंचल, सिवान को उनके पदस्थापन अवधि में दिनांक 30.05.15 को आयोजित राज्य स्तरीय बैठक में सिवान परिक्षेत्र के पश्चिमी गंडक नहर पुनर्स्थापन कार्य के प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि योजना

कार्य की प्रगति निर्धारित ओ0 आई0 एस0 के अनुसार नहीं है। इसके बावजूद एकरारनामा के कंडिका–2 के अनुरूप कार्रवाई नहीं की गयी है। ज्ञातव्य है कि एकरारनामा के कंडिका–2 के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई का अनुमोदन एवं दर के आकलन के लिए संबंधित अधीक्षण अभियंता सक्षम प्राधिकार हैं। इस हेतु विभागीय पत्रांक मो0–2–सिवान (प्रगति प्रतिवेदन) 11/2012–780/पटना, दिनांक 01.06.2015 द्वारा श्री चौधरी से स्पष्टीकरण पूछा गया कि क्यों नहीं इसके लिए आपको दोषी माना जाय?

उक्त के क्रम में श्री चौधरी ने पत्रांक 532 दिनांक 04.06.2015 के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में कहा गया कि दिनांक 30.04.15 को विभागीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही की कंडिका–4 द्वारा ओ0 आई0 एस0 को Contractual Period के अधीन ही वास्तविकता के आधार पर पुनरीक्षित कर निर्धारित माईलस्टोन के अनुरूप कार्य सम्पादन का निदेश प्राप्त हुआ है, जिसके क्रम में पुनरीक्षित ओ0 आई0 एस0 मई, 2015 के अंतिम सप्ताह में संवेदक से प्राप्त हुआ है। पुनरीक्षित ओ0 आई0 एस0 के अनुसार दिनांक 31.05.2015 तक के कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर एकरारनामा के कंडिका (2) के तहत आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई हेतु दिनांक 06.06.15 तक मेरे द्वारा आदेश निर्गत कर दिया जायेगा।

श्री चौधरी से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा में पाया गया कि श्री चौधरी का यह दायित्व था कि बैठक के बाद वे तुरंत संवेदक से पुर्नरीक्षित ओ0 आई0 एस0 प्राप्त करते एवं यदि ओ0 आई0 एस0 नहीं दिया गया था तो एकरारनामा के समय दिये गए ओ0 आई0 एस0 के आधार पर दंडात्मक कार्रवाई का आदेश निर्गत करते। इससे स्पष्ट है कि श्री चौधरी द्वारा न केवल अपने कर्त्तव्य का निर्वहन नहीं किया गया बल्कि एकरारनामा के समय संवेदक को दिए गए ओ0 आई0 एस0 के आधार पर दंडात्मक कार्रवाई भी नहीं की गयी। इस प्रकार श्री चौधरी का स्पष्टीकरण मोनिटरिंग अंचल स्तर पर समीक्षोपरान्त सरकार द्वारा स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

फलस्वरूप उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री चौधरी को विभागीय अधिसूचना सं0–1733 दिनांक 06.08.15 द्वारा ''असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक'' का दण्ड अधिरोपित किया गया है।

उक्त अधिरोपित दण्ड के विरूद्व श्री चौधरी के पत्रांक 1102 दिनांक 10.10.15 द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी दिया गया। श्री चौधरी द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी में कहा गया है कि दिनांक 27.03.15 को विभागीय समीक्षात्मक बैठक के कंडिका–1 के अनुपालन में अधीनस्थ प्रमण्डलों के कार्यपालक अभियन्ता से कार्य की प्रगति तथा दण्डानान्तक कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन की मांग पत्रांक 333 दिनांक 07.04.15 से की गयी तथा पत्रांक 401 दिनांक 25.04.15 से स्मारित भी की गयी, परन्तु वांछित प्रतिवेदन अप्राप्त रहा। पुनः दिनांक 30.04.15 को विभागीय स्तर पर समीक्षात्मक बैठक में कहा गया कि दण्डात्मक कार्रवाई करने के पूर्व संवेदक को नोटिस किया जाय। तथा निर्धारित माईल स्टोन के अनुरूप कार्य संपादन कराने के लिए सधन मोनिटरिंग किया जाय। तत्पश्चात दिनांक 30.04.15 को आहुत बैठक की कंडिका 3 एवं 4 के अनुपालन में संबंधित संवेदक को विभिन्न पत्रों के माध्यम से दिनांक 11.05.15 को नोटिस निर्गत किया गया एवं संवेदक से Contractual Period का पुनरीक्षित OIS प्राप्त किया गया। अंततः दिनांक 30.05.15 को विभागीय समीक्षात्मक बैठक तथा दिनांक 31.05.15 तक कराये गये कार्यो के समीक्षोपरान्त विभिन्न पत्र के माध्यम से कुल 5 संवेदक के विरूद्व दिनांक 06.06.15 को दण्ड की राशि निर्धारित करते हुए वसुली करने का निदेश कार्यपालक अभियन्ता को दिया गया।

पुनर्विलोकन अर्जी की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई, जिसमें पाया गया कि दिनांक 27.03.2015 की विभागीय समीक्षात्मक बैठक के प्रतिवेदन के कंडिका–1 में स्पष्ट रूप से निदेश दिया गया था कि जिन संवेदको के कार्यो की प्रगति निर्धारित OIS बैठक में निर्धारित माईल स्टोन के अनुरूप नहीं है, उनके विरूद्व SBD के कंडिका–02 के अनुरूप दण्डात्मक कार्रवाई की जाय। परन्तु श्री चौधरी, अधीक्षण अभियन्ता द्वारा लगभग दो माह तक सभी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए संवेदक के विरूद्व SBD के कंडिका–02 के अनुरूप दण्डात्मक कार्रवाई करने में विफल रहें। जबकि वे भली भॅाति अवगत थे कि संवेदक द्वारा निर्धारित माइल स्टोन के अनुरूप कार्य नहीं करने की स्थिति में SBD के कंडिका–02 के अन्तर्गत अधीक्षण अभियन्ता ही दण्डात्मक कार्रवाई करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। इन्होंने मात्र पत्राचार में ही लगभग दो माह का समय व्यतीत कर दिया। अतएव माना जा सकता है कि इनके द्वारा अनावश्यक रूप से विलम्ब से दण्डादेश निर्गत किया गया। जबकि श्री चौधरी का यह दायित्व बनता था कि विभागीय समीक्षात्मक बैठक के तुरन्त बाद कराये गये कार्यो के समीक्षोपरान्त वांछित प्रक्रिया अपनाते हुए संवेदक के विरूद्व दण्डात्मक कार्रवाई करते। अतएव श्री चौधरी के पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत करते हुए पूर्व में अधिरोपित निम्न दण्ड को बरकरार रखने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया हैः–

''असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्वि पर रोक''

उक्त निर्णय श्री शशि कुमार चौधरी, अधीक्षण अभियंता, सारण नहर अंचल, सिवान को संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
गजानन मिश्र, संयुक्त सचिव।

---

30 मई 2016

सं० 22 नि0सि0 (मुज०)–06–12/2011–995––श्री अवधेश कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, तिरहुत नहर प्रमण्डल सं0–1, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सेवानिवृत को उनके पदस्थापन अवधि में दौरान जैतपुर शाखा नहर के वि0 दू0 14.00 पर दिनांक 23.05.11 को नहर के बाँये तटबंध के 15' 0'' चौड़ाई में हुए टूटान के जिम्मेवार मानते हुए कार्य में लापरवाही एवं शिथिलता बरतने के आरोप में विभागीय अधिसूचना सं0–1495 दिनांक 05.12.11 द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प सह ज्ञापांक 01 दिनांक 04.01.12 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 में विहित रीति

से विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच में आरोप को प्रमाणित नहीं पाया गया। अतएव संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं उपलब्ध अभिलेख के आधार पर मामले की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमत होते हुए निम्नांकित बिन्दुओं पर विभागीय पत्रांक 504 दिनांक 30.04.13 द्वारा श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

(i) आपके द्वारा तर्क दिया गया है कि टूटान की सूचना उन्हें दिनांक 21.09.11 में 01:40 बजे कनीय अभियंता से दूरभाष पर प्राप्त हुई। जब कनीय अभियंता द्वारा दूरभाष पर उनसे सम्पर्क स्थापित कर लिया गया तो उनके उस बयान को स्वीकार योग्य नहीं माना जा सकता कि सुदूर क्षेत्र में होने के कारण अथक प्रयास के बावजूद इनके द्वारा उच्चाधिकारियों से मोबाईल पर सम्पर्क स्थापित नहीं किया जा सका।

(ii) नहर में रूपांकित जलश्राव 480 घनसेक के विरूद्ध प्रवाहित जलश्राव 163 घनसेक मात्र में ही नहर टूट गया। श्री कुमार द्वारा यदि निश्चित अंतराल पर नहर बाँध का भ्रमण किया जाता तो पाईपिंग के कारण नहर बाँध के टूटान को रोका जा सकता था। अतः नहर संचालन में लापरवाही एवं शिथिलता बरतने का आरोप प्रमाणित माना जाता है।

श्री कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता ने अपने पत्रांक– शून्य दिनांक 08.05.13 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब विभाग में समर्पित किया गया। जिसमें मुख्य रूप से निम्न बातें कही गयी है।

(i) अधीक्षण अभियंता तथा मुख्य अभियंता द्वारा ससमय स्थल निरीक्षण नहीं करने के कारण टूटान हुआ। क्योंकि विभागीय पत्रांक 991 दिनांक 17.06.11 के आलोक में नहर में पानी छोड़ने के संबंध में उनके द्वारा कोई मंतव्य नहीं दिया गया। फलस्वरूप विभाग द्वारा अस्त–व्यस्त नहर में पानी खोलने का निर्णय लिया गया।

(ii) घटना घटने के पश्चात 23 घंटे में एल0 सी0 सी0 (पुनर्स्थापन कार्य के संवेदक) के माध्यम से मरम्मति कराकर पुनः जल प्रवाहित करा दिया गया एवं सरकार को न आर्थिक क्षति हुई एव न ही किसानों को कोई क्षति हुआ है।

श्री कुमार से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। जिसमें पाया गया कि श्री कुमार द्वारा ऐसा कोई तथ्य/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह परिलक्षित हो सके कि इनके द्वारा नहर टूटान की सूचना ससमय उच्च पदाधिकारियों एवं विभाग को दिया गया है तथा नहर बाँध के रख–रखाव की दिशा में कोई कारगर कार्रवाई की गयी है एवं नियमित अंतराल पर नहर बाँध का निरीक्षण इनके द्वारा किया गया है। अगर इनके द्वारा नहर के रख–रखाव पर समुचित ढंग से ध्यान दिया जाता तो नहर के रूपांकित जलश्राव 460 घनसेक के विरूद्ध मात्र 163 घनसेक में नहर टूटान होने की संभावना नहीं बनती। अतएव प्रमाणित आरोपों के लिए सरकार द्वारा श्री कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता को विभागीय अधिसूचना सं0 1302 दिनांक 23.10.13 द्वारा निम्न दण्ड संसूचित किया गया।

(i) निन्दन वर्ष 2011–12

(ii) दो वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

उक्त दण्डादेश के विरूद्ध श्री कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता के पत्रांक– शून्य दिनांक 28.11.13 द्वारा विभाग में समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी एवं वरीय लेखा पदाधिकारी, महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय, बिहार, पटना से प्राप्त पत्र की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरान्त श्री कुमार के दिनांक 30.06.14 को सेवानिवृत हो जाने के कारण विभागीय अधिसूचना सं0 1302 दिनांक 23.10.13 द्वारा पारित दण्डादेश के अधिरोपित नहीं होने के कारण उक्त दण्डादेश के कंडिका (ii) को विभागीय अधिसूचना सं0 1914 दिनांक 10.12.14 द्वारा निरस्त किया गया एवं पूर्व से संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (बी0) में सम्परिवर्तित करते हुए विभागीय पत्रांक 03 दिनांक 05. 01.15 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

श्री कुमार, सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता से द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब अप्राप्त रहने के कारण मामले की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि आरोप के संदर्भ में श्री कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता को पूर्व के कथन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं कहना है।

अतः श्री अवधेश कुमार, सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता को नहर टूटान की सूचना ससमय उच्चाधिकारियों को नहीं देने तथा नहर के रख–रखाव तथा पर्यवेक्षण करने की अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं करने के आरोप को प्रमाणित पाया गया है।

चुँकि श्री कुमार दिनांक 30.06.14 को सेवानिवृत हो चुके हैं। अतः पूर्व में अधिरोपित निन्दन का दण्ड निष्प्रभावी होने के कारण सरकार द्वारा प्रमाणित आरोपों के लिए निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गया है।

(i) दस प्रतिशत (10%) पेंशन की कटौती दो वर्षों के लिए।

(ii) निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा किन्तु उक्त अवधि की गणना पेंशन के
प्रयोजनार्थ की जायेगी।

उक्त निर्णय श्री अवधेश कुमार, सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, मेहसी निवास, रोड नं0–05, आदर्श कॉलोनी, पश्चिमी पटेल नगर, पटना–23 को संसूचित किया जाता है।

(i) दस प्रतिशत (10%) पेंशन की कटौती दो वर्षों के लिए।

(ii) निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा किन्तु उक्त अवधि की गणना पेंशन के प्रयोजनार्थ की जायेगी।

उक्त क्रमांक–1 के दण्ड पर बिहार लोक सेवा आयोग का परामर्श प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
जीउत सिंह, उप–सचिव।

सं० 2 / सी0–102 / 2006–सा0प्र0–**9148**
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

29 जून 2016

श्री जय मंगल पासवान (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 45 / 08, तत्कालीन उपाध्यक्ष, गया क्षेत्रीय प्राधिकार, गया सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध बोधगया क्षेत्र के लिए नक्शा स्वीकृति की निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन करने, वित्तीय अनियमितता, कर्त्तव्यों के निर्वहन में प्रशासनिक पदाधिकारी की मर्यादा के प्रतिकूल कार्य करने आदि प्रतिवेदित आरोपों के लिए संकल्प ज्ञापांक 5359 दिनांक 06.08.2009 बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी थी।

संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं श्री पासवान से प्राप्त अभ्यावेदन के समीक्षोपरान्त प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत पेंशन से 50% की कटौती स्थायी रूप से किए जाने का दंड विभागीय संकल्प ज्ञापांक 8806 दिनांक 30.06.2014 द्वारा अधिरोपित किया गया था।

श्री पासवान द्वारा अधिरोपित दंड के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में समादेश याचिका सी0डब्लू0जे0सी0 सं0 12547 / 2014 जय मंगल पासवान बनाम बिहार राज्य एवं अन्य दायर किया गया। उक्त याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 29.01.2016 को पारित आदेश द्वारा श्री पासवान के विरूद्ध अधिरोपित दंड संबंधी संकल्प ज्ञापांक 8806 दिनांक 30.06.2014 को निरस्त (set aside)कर दिया गया।

माननीय न्यायालय का कार्यकारी अंश निम्नवत् है :–

"The instant proceeding initiated on 02.11.2005 under rule 43(b) of the Pension Rules is time barred, as it is in respect of incident which took place beyond four years from the date of the Resolution.

The proceeding under rule 43(b) is as such not maintainable and consequently, the impugned penalty is set aside. A person who may be guilty of such charges gets reprieve on account of lack of due vigil on part of the concerned respondents in not timely initiating such proceeding. The petitioner may request for consequential benefits, which would be duly considered in accordance with law. The respondents too would be at liberty to take any other steps permissible under the law.

With the aforesaid observation, the writ application is accordingly disposed of."

माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर विधि विभाग का परामर्श प्राप्त किया गया। विधि विभाग द्वारा अपने परामर्श में पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत कार्रवाई कालबाधित बताया गया। साथ ही पेंशन नियमावली के नियम 139 के तहत भी कार्रवाई कालबाधित पाया गया।

अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयनुसार माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29.01.2016 के आलोक में श्री जय मंगल पासवान (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 45 / 08, तत्कालीन उपाध्यक्ष, गया क्षेत्रीय प्राधिकार, गया सम्प्रति सेवानिवृत्त, पता–उत्तरी तिलक मार्ग, मकान नं0–6बी / 26सी, बोरिंग रोड, पटना के विरूद्ध संकल्प ज्ञापांक 8806 दिनांक 30.06.2014 द्वारा अधिरोपित ***''पेंशन से 50% की कटौती स्थायी रूप से किए जाने का दंड''*** को एतद द्वारा निरस्त किया जाता है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अनिल कुमार, अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 17—571+100-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in